दिनांक 24.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं का ही पुजन करें—आयुक्त

भिलाईनगर/ छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेशानुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनीं गणेश प्रतिमाओं का उपयोग करना प्रतिबंधित है। आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर भिलाई नगर निगम का उड़नदस्ता दल शहर के विभिन्न क्षेत्रों नंदनी रोड, कान्ट्रेक्टर कालोनी, रामनगर, लक्ष्मीनगर, नेहरु नगर, कोहका चौक, सुपेला मार्केट, में जाकर जांच की कि प्रतिबंधित प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी गणेश की मुर्तियां तो नहीं बिक रही शहर में ज्यादातर जगहों पर मिट्टी की बनी मुर्तियां ही बिक रहीं हैं। सुपेला मार्केट में पहुंचते ही दल के सदस्यों का पता चला कि शिवाजी चौक शा0 स्कुल के पास मिट्टी की बनी प्रतिमाओं के बीच पी0ओ0पी0 की मुर्ति छिपाकर रखा है जैसे ही दल के सदस्यों को विक्रेता देखा दुकान छोड़कर भाग गया वहॉ पर 27 पुरानी पी0ओ0पी0 की बनीं प्रतिमाएं मिली मौके पर पंचनामा बनाकर स्थानीय दुकानदारों की गवाही एवं जवाबदेही पर विक्रेता के नौकर कैलाश/धर्मराज को गणेश जी की पी0ओ0पी0 की बनीं मुर्ति सुपुर्द करते हुए चेतावनी देते हुए छोड़ा गया कि पी0ओ0पी0 की बनीं मुर्ति नहीं बेचेगा। जांच के दौरान जो मुर्ति विक्रेता सड़क पर गंदगी फैलाये थे उनसे 800 रुपये अर्थदण्ड लेकर रसीद देते हुए चेतावनी दी गई कि कोई भी सड़क पर गंदगी नहीं फैलायेगे, कुछ छोटे दुकानदारों से सफाई अभियान चलाकर कचरों को साफ करवाया गया, स्थानीय व्यापारियों का कहना था कि निगम के द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही से प्लास्टर ऑफ पेरिस मुर्तियां इस वर्ष नहीं बनीं जिनके पास पुराना स्टॉक था वही चोरी छिपे बेच रहें हैं । निगम द्वारा यह कार्यवाही कल भी जारी रहेगा। महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त के0एल0 चौहान ने नगरवासियों को गणेश चतुर्दशी की शुभकामना देते हुए सबसे अनुरोध किया है कि अपने घरों में या सार्वजनिक स्थलों पर मिट्टी से बने ही गणेश प्रतिमाओं का पूजन करें। विसर्जन के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलता नहीं है इसके कण हानिकारक होते है जिससे जल प्रदुषित हो जाता है जल के जीव जन्तु मरने लगते है। कार्यवाही के दौरान अजय शुक्ला, रामायण सिंह, कृष्णा यादव के साथ उड़नदस्ता दल के सदस्य उपस्थित रहे।

जन सम्पर्क अधिकारी